Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt.of Haryana

No. 177–2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 17, 2018 (ASVINA 25, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 अक्तूबर, 2018

संख्या 1/13/2018–1 पी० पी०.– हरियाणा के राज्यपाल हरियाणा फिल्म नीति को लागू करने के लिए इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से निम्नलिखित प्रावधानों, नियमों एवं सेवा उप–नियमों के साथ सहमत हैः–

सांस्कृतिक समन्वय और अवसरों का द्वार हैं फिल्में

सिनेमा अपने दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों के लोकभावन प्रस्तुतिकरण के कारण मनोरंजन, संचार और ज्ञान का सशक्त माध्यम है। इसके इसी कौशल के कारण आज इसकी पहुँच जन–मानस में न केवल व्यापक स्तर पर है, अपितु इसका लगातार प्रसार भी हो रहा है। इसीलिए आज यह संचार का अत्यन्त प्रभावशाली संसाधन है। इसने जन–मानस को व्यापक रूप से प्रभावित किया है एवं लोकप्रिय संस्कृति के साथ–साथ बहुआयामी कलात्मक अभिव्यक्ति को नये सिरे से परिभाषित किया है। सिनेमा अक्सर अपरिचित विषयों एवं स्थानों को भी रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करके अत्यंत लोकप्रिय बना देता है, अन्यथा ऐसे विषय केवल मानचित्रों पर मूक ही रह जाते। सिनेमा ने दूरियों को मिटाया है, बहुसांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दिया है एवं प्रतिष्ठित पसंदीदा स्थलों को सृजित किया है। सिनेमा की यही विशेषता भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं के पार जाकर नये समन्वयों और संस्कृतियों का सूत्रपात करती है।

फिल्म नीति का महत्त्व

दुनिया भर में फिल्म नीतियां विभिन्न देशों एवं प्रदेशों द्वारा इस प्रकार बनाई गई हैं कि सिनेमा से संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। आज, वैश्विक तौर पर बहुसांस्कृतिक संवाद वाले इस आधुनिक युग में हरियाणा प्रदेश की ओर से एक सुस्पष्ट फिल्म नीति तैयार की गई है जो फिल्मकारों तथा निर्माताओं को फिल्म निर्माण के लिए अनेक सुविधायें एवं प्रोत्साहन देकर न केवल उनका उत्साह बढ़ाएगी, अपितु फिल्म निर्माण एवं इसके बाद के अनुभव को बहुत ही संतोषजनक व लाभकारी बनाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो एक सुदृढ़ और भली–भान्ति क्रियान्वित की गई फिल्म नीति सिनेमा–मैत्री वाले माहौल के निर्माण की अहम कुंजी है।

फिल्म नीति के उद्देश्य एवं कार्यान्वयन

हरियाणा एक जीवंत प्रदेश है, जिसका फिल्म उद्योग भले ही तुलनात्मक रूप से अभी प्राथमिक चरण में है, परन्तु यह प्रदेश सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं की अमूल्य निधि से परिपूर्ण है। यहां के लोग उद्यमशील एवं कर्मठ हैं। अभी हाल ही में हरियाणवी फिल्मों ने न केवल अत्यधिक व्यावसायिक रूचि पैदा की है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कई भव्य फिल्म समारोहों में पुरस्कार भी प्राप्त किये हैं।

इसलिए निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक सोद्देश्य व सुदृढ़ फिल्म–नीति तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने का यही उचित समय है:–

1. कौशल विकास एवं पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाओं के सृजन से युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देना और रोज़गार के नये अवसर प्रदान करना।
2. हरियाणवी सिनेमा के विकास हेतू एक अनुकूल माहौल बनाना व फिल्म निर्माताओं के लिए हरियाणा को एक पसंदीदा गंतव्य बनाना।
3. हरियाणा में फिल्म–प्रतिभा को विकसित करना तथा लिंग–समानता पर विशेष बल देकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।
4. प्रदेश में सही अर्थों में फिल्म–संस्कृति का विकास करना।
5. फिल्मों के प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना, ताकि भारत और विश्व भर के फिल्म निर्माताओं को हरियाणा में फिल्म बनाने एवं फिल्मों को रिलीज़ करने के लिए भी आकर्षित किया जा सके।
6. आधुनिक फिल्म प्रौद्योगिकी के प्रयोग से प्रदेश में हरियाणवी फिल्मों की एक विशिष्ट पहचान बनाना और फिल्म संपादन के क्षेत्र में प्रदेश को एक विशिष्ट 'ब्रांड' का स्वरूप देना।
7. फिल्मों और फिल्म से संबंधित सामग्री का संरक्षण और अभिलेखाकरण (डिजीटलाइज़ेशन) करना।
8. सिनेमा–उद्योग को नई राह दिखाने वालों तथा हरियाणवी सिनेमा को नई पहचान दिलाने वालों को मान्यता व उचित सम्मान देना।
9. लोक–संगीत, विरासत एवं परम्पराओं के संरक्षण के लिए फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देना।

'हरियाणा फिल्म सैल' (एचएफसी) की स्थापना

एच.एफ.सी. में एक कार्यकारी समिति और एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति होगी, जिनमें सरकारी अधिकारी, फिल्म उद्योग के विशेषज्ञ तथा इस क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट व्यक्ति/विशिष्ट फिल्मी हस्ताक्षर/विशेषज्ञ शामिल होंगे। समितियों की संरचना निम्न प्रकार से होगी :–

<u>उच्चाधिकार प्राप्त समिति</u>

उच्चाधिकार प्राप्त समिति में सरकारी अधिकारी/विशेषज्ञ शामिल होंगे। हरियाणा फिल्म नीति के मापदंडों के अंतर्गत इस समिति को परियोजनाओं को मंज़ूरी देने और अनुदान राशि जारी करने के अधिकार प्राप्त होंगे। उच्चाधिकार प्राप्त समिति 'हरियाणा फिल्म नीति के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकारी समिति की सलाहकार निकाय' के रूप में भी कार्य करेगी। उच्चाधिकार प्राप्त समिति में निम्नलिखित सदस्य

होंगे :–

1.	प्रशासनिक सचिव, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा।	अध्यक्ष
2.	मनोनीत सदस्य (प्रसिद्ध फिल्म विशेषज्ञ)	उपाध्यक्ष
3.	प्रशासनिक सचिव, पर्यटन विभाग, हरियाणा।	सदस्य
4.	प्रशासनिक सचिव, कला एवं सांस्कृतिक मामले विभाग, हरियाणा।	सदस्य
5.	महा निदेशक, सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा।	सदस्य सचिव
6.	कुलपति, 'प्रदर्शन और दृश्य कला राज्य विश्वविद्यालय,' रोहतक।	सदस्य
7.	फिल्मों से जुड़े 6 प्रसिद्ध व्यक्ति	सदस्य

<u>कार्यकारी समिति</u>

हरियाणा फिल्म सैल के तहत एक कार्यकारी समिति गठित की जाएगी। हरियाणा फिल्म नीति के अनुसार फिल्म निर्माताओं को वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए यह समिति पात्रता और मानदंडों (कुल क्रेडिट प्वाइंट स्कोर के आधार पर) का निर्धारण करेगी। यह समिति अपने सुझाव, उच्चाधिकार प्राप्त समिति को देगी एवं क्रियान्वयन में सहायता भी प्रदान करेगी। कार्यकारी समिति, सूचना, जन संपर्क और भाषा विभाग, हरियाणा सरकार के प्रशासन/प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी। कार्यकारी समिति की संरचना निम्नानुसार होगीः

1.	महा निदेशक, सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा।	अध्यक्ष
2.	मनोनीत सदस्य (प्रसिद्ध फिल्म विशेषज्ञ)	उपाध्यक्ष
3.	निदेशक, कला एवं संस्कृति मामले विभाग, हरियाणा।	सदस्य
4.	निदेशक, पर्यटन विभाग, हरियाणा।	सदस्य
5.	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (फिल्म)	सदस्य सचिव
6.	फिल्म निर्माता/निर्देशक के पैनल से 5 मनोनीत सदस्य (पटकथा लेखक, तकनीकी, निर्देशन एवं अन्य से)	सदस्य
7.	विधि विशेषज्ञ	सदस्य

फिल्म नीति के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, हरियाणा फिल्म सैल (एच.एफ.सी.) गठित होगा, जिसके निम्नलिखित कार्य होंगेः–

1. हरियाणा को फिल्मांकन के लिए पसंदीदा स्थल बनाने हेतू प्रोत्साहन–ढांचा विकसित करना।
2. फिल्म क्षेत्र में हरियाणा केंद्रित 'ब्रांडिंग' की संरचना करना।
3. हरियाणवी फिल्म उद्योग के समग्र विकास के लिए सुविधा/योगदान।
4. राज्य में फिल्म–पर्यटन को प्रोत्साहन देना।
5. ऐसे सहायक उद्योगों/व्यावसायिक अवसरों को प्रोत्साहन एवं विकसित करना, जो फिल्म निर्माण में सहवर्ती और सहायक हों।
6. छूट/रियायत और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन की सिफ़ारिश करना।
7. मूल्य–श्रृंखला परिप्रेक्ष्य में फिल्म उद्योग को विशिष्ट पहचान देना और हरियाणा की बाज़ार–गतिशीलता को पहचानने में सक्षम बनाना ताकि उद्योग की जरूरतें पूरी हो सकें।

शिकायतों का निवारण (विवाद समाधान प्रणाली)

यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामला निवारण के लिए प्रशासनिक सचिव, सूचना, जन संपर्क और भाषा विभाग, हरियाणा को भेजा जाएगा। उत्पन्न सभी विवाद हरियाणा फिल्म नीति के नियम और शर्तों के तहत चंडीगढ़ के क्षेत्राधिकार में होंगे।

नीति में उद्धृत फिल्म की श्रेणियों की परिभाषाएं

क) <u>हरियाणवी फिल्म</u> :– अनुच्छेद–'ए' में दिये गए हरियाणवी फिल्म के लिए निर्धारित न्यूनतम मानदंडों को पूर्ण करने वाली हरियाणवी फिल्म।

ख) <u>गैर–हरियाणवी फिल्म</u> :– अनुच्छेद–'ए' में दिए गए गैर–हरियाणवी फिल्म के लिए निर्धारित न्यूनतम मानदंडों को पूर्ण करने वाली भारतीय भाषा फिल्म।

ग) <u>अंतर्राष्ट्रीय फिल्म</u> :– अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्में। इनमें अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त–निर्माण भी शामिल होंगे – यानि फिल्मों की शूटिंग हरियाणा में हरियाणवी/भारतीय निर्माता द्वारा एक या एक से अधिक विदेशी निर्माताओं के साथ की गई हो।

नोट – बड़ी परियोजनाओं अर्थात् – 30 करोड़ रुपये से अधिक के कुल उत्पादन बजट वाली हिन्दी एवं भारतीय भाषा की परियोजनाओं पर एच.एफ.सी. द्वारा प्रत्येक मामले में गुणवत्ता के आधार पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा।

नीति के मुख्य बिंदु

1. सिंगल विन्डो परमिट

हरियाणा में फिल्मों की शूटिंग से संबंधित सभी अनिवार्य परमिट और स्वीकृतियां प्रदान करने की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए सिंगल विन्डो परमिट सिस्टम को लागू किया जाएगा। इससे हरियाणा में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शंस (स्टूडियो आधारित और स्वतंत्र) को प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलेगा। यह सिंगल विंडो सैल एच.एफ.सी. का हिस्सा होगा। हरियाणा राज्य के प्रत्येक संबंधित विभाग में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। आवेदक को वास्तविक शूटिंग कार्यक्रम से एक महीना पहले अपना आवेदन देना होगा । एच.एफ.सी. इसकी जांच उपरांत 7 कार्य दिवसों के अंदर आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करेगा। सक्षम प्राधिकारी को बिना किसी कारण बताए अनुमति को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

2. हरियाणवी फिल्मों को प्रोत्साहन एवं हरियाणा में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा

भारत और दुनिया भर में फिल्म निर्माता उन राज्यों में फिल्म शूटिंग के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जहां पर शूटिंग वाली इकाइयों के लिए अच्छे वित्तीय प्रोत्साहन हों एवं प्रशासनिक प्रणालियां सरल हों। नीति के अनुच्छेद–'ए' में उल्लिखित 'क्रेडिट प्वाइंट सिस्टम' द्वारा निर्धारित वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

इसके लिए फिल्म की पात्रता न्यूनतम 'क्रेडिट प्वाइंट स्कोर' (एमसीपीएस) द्वारा निर्धारित की जाएगी। कुल 'क्रेडिट प्वाइंट स्कोर' (टीसीपीएस) फिल्म को दिए जाने वाले प्रोत्साहन को निर्धारित करेगा। पात्रता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 'क्रेडिट' अंक प्राप्त करना अनिवार्य है (जैसा कि अनुच्छेद–'ए' में वर्णित किया गया है)।

फिल्म प्रोत्साहनों के लिए आवंटित कुल बजट का 50 प्रतिशत हरियाणवी फिल्मों के लिए निर्धारित होगा।

3. आधारभूत संरचना का विकास

<u>क) फिल्म और टेलीविज़न (टीवी) स्टूडियो की स्थापना</u>

राज्य सरकार, हरियाणा फ़िल्म और टीवी स्टूडियो की स्थापना में सहयोग करेगी, जिसमें फिल्म निर्माण और निर्माण के बाद की सुविधाएं होंगी, ताकि हरियाणा में फिल्मों की शूटिंग और निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। राज्य सरकार पीपीपी आधार पर या एच.एफ.सी. द्वारा तय किये गये कारोबार–मॉडल के अनुसार, हरियाणा में एक 'फिल्म सिटी' स्थापित करने का प्रयास करेगी।

<u>ख) फिल्म और टेलीविजन संस्थानों का उन्नयन तथा बढ़ावा</u>

राज्य सरकार ने पहले से ही एक 'प्रदर्शन और दृश्य कला राज्य विश्वविद्यालय,' रोहतक की स्थापना की है। इस संस्थान में फिल्म बनाने के विभिन्न पाठ्यक्रम हैं, जिनमें प्रशिक्षुओं को फिल्में बनाने में सक्षम निर्माण के लिए तकनीकी प्रशिक्षण भी

शामिल है। कोर तकनीकी विभागों वाले पूर्णकालिक कार्यक्रम हैं, जो योग्य, अनुभवी फिल्म विशेषज्ञों और फिल्म निर्माताओं द्वारा पढ़ाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अल्पकालिक, अतिरिक्त व निचली 'लाईन क्रू' जैसे कि 'आर्ट सेटिंग' विभाग, कैमरा सहायक, ध्वनि सहायक, निर्माण कर्मचारी और स्थान प्रबंधन हेतू कौशल विकास के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम शामिल हैं।

हरियाणा मनोरंजन उद्योग के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए सामग्री और प्रतिभा का विकास तथा प्रशिक्षण के लिए एक कौशल विकास पहल भी की जाएगी। एच.एफ. सी.,वार्षिक प्रयोगशालाओं द्वारा विभिन्न विषयों जैसे स्क्रीन–लेखन प्रयोगशाला, निर्देशन प्रयोगशाला एवं निर्माता प्रयोगशाला आदि के माध्यम से फिल्म निर्माता को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

ग) थिएटर सेटिंग (मिनीप्लेक्स) और वैकल्पिक प्रदर्शनी मंच

हरियाणा में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेवलिंग टॉकीज और विशेष संस्थागत स्क्रीनिंग मंच (अर्थात ग्राम पंचायतों, स्थानीय स्कूलों इत्यादि के माध्यम से स्क्रीनिंग कार्यक्रम) जैसे स्क्रीन थियेटर/सिनेमा हॉल और वैकल्पिक प्रदर्शनी सुविधाओं की स्थापना से ग्रामीण लोगों को कम लागत में मनोरंजन की सुविधा मिलेगी, फिल्म देखने और संस्कृति की सराहना करने की भावना पैदा होगी और प्रदेश में हरियाणवी भाषा की ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

सी (1) – इस नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य शुरुआत में 1:50,000 के स्क्रीन–जनसंख्या घनत्व अनुपात को हासिल करना है। एचएफसी शहरी/अर्ध–शहरी/ग्रामीण केंद्रों में 'मिनी प्लेक्स' स्थापित करने के लिए डिजिटल सिनेमा वितरण इकाइयों के साथ सक्रिय रूप से सहभागिता करेगा। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार निम्नलिखित प्रयास करेगी :–

- पुराने थियेटरों को अपग्रेड करने के साथ–साथ नए मिनीप्लेक्स (क्षमता 70–100 पैक्स) के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि या थियेटर अधिग्रहण/थियेटर नवीनीकरण की सुविधा प्रदान करना। संबंधित विभागों के साथ तालमेल से त्वरित प्रासंगिक स्वीकृतियों का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।
- दर्शकों को आकर्षित करने एवं लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए बस स्टैंड/लोकप्रिय 'शॉपिंग एरिया,' संस्कृति केंद्र इत्यादि में या इनके निकट मिनीप्लेक्स को प्रोत्साहित करना।
- इस नीति के अनुसार विभिन्न विभागों की नीतियों में संशोधन किया जाएगा। निम्न तथा मध्यम क्षमता वाले क्षेत्रों में फिल्म और फिल्म से संबंधित संस्थानों और प्रतिष्ठानों को आकर्षित करने के लिए 'भूमि उपयोग–परिवर्तन' से संबंधित नीति को फिल्म हितैषी बनाया जाएगा। इसी प्रकार, पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के दायरे के भीतर के क्षेत्रों के लिए फिल्म–अनुकूल नीतियों के माध्यम से इसी प्रकार की सहायता का विस्तार किया जाएगा।

- **सार्वजनिक सुविधाओं के लिए प्रावधान** – सिनेमा अधिनियम में परिभाषित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक एजेंसियों के साथ तालमेल से पानी, निर्बाध बिजली आपूर्ति, अच्छी कनेक्टिविटी, पार्किंग ज़ोन, सुरक्षा मानदंडों जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल, कम कीमत वाले कैफ़ेटेरिया और रेस्तरां और अन्य सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि सिनेमा के प्रति लोगों को आकर्षित किया जा सके।
- त्वरित स्वीकृतियों और अनुमतियों के लिए 'सिंगल विन्डो परमिट सिस्टम।'
- प्रोत्साहन संबंधी सहायता – जहां तक संभव हो, राज्य पर्यटक परिसरों, सरकारी कार्यालय लॉबी, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड इत्यादि जैसे सरकार द्वारा नियंत्रित/स्वामित्व वाले सभी स्थानों पर मिनीप्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए डिस्प्ले स्थल होंगे।
- सरकार मिनीप्लेक्स की स्थापना और संचालन प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए एक विश्वसनीय और अनुभवी निजी परामर्शदाता की सेवाएं ले सकती है।
- हरियाणा फिल्म उद्योग के विभिन्न पहलुओं के लिए अध्ययन करवाने तथा सरकार के मानदंडों के अनुसार विषय–वस्तु अधिग्रहण, तकनीकी आधारभूत संरचना, थियेटर और परिसर (पार्किंग और अभिगमन मामलों सहित) के संचालन एवं प्रबंधन हेतु सभी प्रतिष्ठित फर्मों और कंपनियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना। सरकार महसूस करती है कि लक्ष्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए शहरी प्रशासन की पृष्ठभूमि में इस क्षेत्र की समझ अपरिहार्य है।
- मिनीप्लेक्स के लिए विषय–वस्तु में हरियाणवी फिल्में (रिलीज़–सप्ताह में प्राथमिकता के आधार पर प्राइम टाइम शो टाइमिंग के साथ), डब की हुई अंतर्राष्ट्रीय विषय–वस्तु की गैर–हरियाणवी फिल्में (डब की हुई/उपशीर्षक के साथ), राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्में (डब की हुई/उपशीर्षक के साथ), और बाल तथा और शिक्षाप्रद फिल्में शामिल की जा सकती हैं। फिल्म शो के लिए परिभाषित 'प्राइम टाइम स्लॉट' सायं 4 बजे से 9 बजे के बीच निर्धारित है।
- प्राथमिकता निर्धारण प्रावधान का लाभ उठाने वाली सभी फिल्मों को एचएफसी से प्रासंगिक प्रमाणीकरण का प्रमाण जमा करवाना अपेक्षित होगा।
- मिनीप्लेक्स के लिए स्थानीय कला और शिल्प हेतु बिक्री क्षेत्र और स्थानीय सिनेमा शेड्यूलिंग के लिए शोकेस/डिस्प्ले होना अनिवार्य होगा।

सी (2) खुले में प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक मॉडल की सुविधा :– दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों, जहां नई स्क्रीन का निर्माण व्यवहार्य नहीं है या उसमें समय लगना है, के लिए फिल्म के प्रदर्शन हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था (अर्थात पाइरेसी से सुरक्षा) के साथ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।

- **चलता–फिरता सिनेमा या सिनेमा वैन**– इससे प्रोजैक्शन और स्क्रीनिंग सुविधाओं से सुसज्जित एक आत्मनिर्भर प्रदर्शनी वाहन (अर्थात सिनेमा वैन) का उपयोग करके किसी फिल्म को एक जगह से दूसरे जगह में प्रदर्शित किया जा सकता है।
- चलता–फिरता सिनेमा या 'मेकशिफ्ट थिएटर'–जहां फिल्म नॉन–डीसीपी/प्रिंट फॉरमेट पर उपलब्ध करवाई जा सकती है–अर्थात पूर्व निर्धारित स्थानों पर एक प्रति–संरक्षित एमओवी फ़ाइल प्रदर्शित की जा सकती है।

घ) हरियाणा राज्य को पसंदीदा स्थल के रूप में पेश करना

एच.एफ.सी. हरियाणा को सभी फीचर और गैर–फीचर कंटेंट–फिल्म, डिजिटल कंटेंट तथा टेलीविजन शो की शूटिंग और निर्माण के लिए अग्रणी पसंदीदा स्थल के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहल करेगा। प्रोत्साहन पाने वाली फिल्मों के निर्माता को उत्पाद सूची में एच.एफ.सी. का 'लोगो' लगाना होगा।

- हरियाणवी फिल्मों में ओपनिंग क्रेडिट्स में सोलो क्रेडिट के रूप में उल्लेख
- गैर–हरियाणवी फिल्मों के ओपनिंग क्रेडिट्स में स्लाइड वाले सहभागी 'लोगो' के रूप में उल्लेख
- अंतर्राष्ट्रीय और बड़े बजट वाली फिल्मों में बड़ी भूमिका अदा करने वाले सहभागी 'लोगो' के रूप में उल्लेख
- फिल्म में बड़ी भूमिका में इस्तेमाल किए गए सभी संबंधित विभागों और स्थानों का पर्याप्त उल्लेख/आभार–प्रदर्शन

ङ) शूटिंग स्थलों का विकास

सौंदर्यपरक और सिनेमाई अपील वाले संभावित शूटिंग स्थलों की पहचान, सूचीकरण और विकास करना। इन स्थलों को पर्यटन विभाग और निजी निवेशकों के तालमेल से विकसित किया जाएगा।

च) फिल्म निर्माण के लिए सुरक्षा व्यवस्था

फिल्म की शूटिंग के दौरान राज्य सरकार पूर्ण सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था निःशुल्क दी जाएगी ताकि फिल्म निर्माता बिना किसी बाधा के शूटिंग पूरी कर सकें। शूट करने की अनुमति में पुलिस स्वीकृति

शामिल होगी और ये अनुमति सात दिन के भीतर 'ऑनलाइन पोर्टल' पर प्रदान की जाएगी। सुरक्षा टीम विशेष रूप से फिल्म शूट के लिए प्रशिक्षित होगी। गृह विभाग से एक संपर्क अधिकारी, हरियाणा फिल्म प्रकोष्ठ के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

छ) फिल्मों का अवैध रूप से प्रदर्शन एवं वीडियो पाइरेसी का निषेध

राज्य सरकार वीडियो 'पाइरेसी' तथा प्रमाणित और गुणवत्ता वाली फिल्मों के अवैध प्रदर्शन पर अंकुश लगाने से संबंधित नियमों को सख़्ती से लागू करेगी।

4. हरियाणा राज्य फिल्म पुरस्कार आयोजित करना

हरियाणा फिल्म प्रकोष्ठ द्वारा रोचक एवं तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा राज्य फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

इन पुरस्कारों का उद्देश्य सिनेमा के अध्ययन और कला विधा के रूप में इसके मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना भी है। पुरस्कार/सम्मान शुरुआत में तीन श्रेणियों (अनुच्छेद–ख) में विभाजित किए जाएंगे :

क. हरियाणवी फिल्मों के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार

ख. हरियाणा को एक पसंदीदा स्थल के रूप में प्रोत्साहित करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म पर पुरस्कार

ग. ऐसे हरियाणवी फिल्म निर्माताओं को सम्मानित करना, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों और मंचों पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

सम्मान राशि, समय–समय पर हरियाणा फिल्म प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित की जाएगी।

5. हरियाणवी फिल्मों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण

प्रदेश में बनी सभी प्रकार की पहले की और वर्तमान फिल्म सामग्री की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 'राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक' के सहयोग से हरियाणा राज्य फिल्म अभिलेखागार बनाया जाएगा। इससे सरकार न केवल श्रेष्ठ कार्य का रिकॉर्ड रखने में, बल्कि फिल्म उद्योग के डेटा बेस का निर्माण करने में भी सक्षम होगी। मौजूदा अभिलेखागार, जैसा कि समिति द्वारा अभिलेखीय महत्व का होने के लिए निर्धारित किया गया है, को 'मिशन मोड' में प्रोत्साहित किया जाएगा।

फिल्म निर्माताओं को उनकी फिल्म और प्रचार सामग्री की एक प्रति अभिलेखागार में जमा करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अभिलेखागार फिल्मों का उचित भंडारण, सूचीकरण और रख–रखाव सुनिश्चित करेगा।

6. दर्शक विकास कार्यक्रम

राज्य सरकार दर्शकों तक सिनेमा की पहुंच को सक्षम बनाने के लिए संगठनों को प्रोत्साहित करेगी। प्रत्येक वर्ष फिल्मोत्सव आयोजित किया जाएगा जो हरियाणा के लोगों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय फिल्मों का आनन्द लेने के लिए समुचित अवसर एवं मंच प्रदान करेगा। इससे बड़े पैमाने पर सिनेमा में लोगों की रुचि बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

7. फिल्म उद्योग

फिल्म उद्योग सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस प्रकार, एक सुविकसित फिल्म उद्योग धन–संग्रहण व रोजगार–सृजन का एक प्रमुख स्रोत तथा हरियाणा के जन जीवन के सांस्कृतिक संरक्षण और अभिव्यक्ति के लिए एक प्रभावी साधन और मंच हो सकता है। यह उद्योग निवेश और पर्यटन–स्थल के रूप में हरियाणा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ इसकी संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य कर सकता है। तदनुसार "फिल्म" को "उद्योग" की परिभाषा के तहत शामिल किया जाएगा। इससे फिल्म उद्योग फिल्म निर्माण के लिए 'उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2016' के तहत प्रोत्साहन पाने के लिए पात्र होगा।

अनुच्छेद – 'ए'

प्रोत्साहनों के लिए फिल्म की पात्रता 'मिनिमम क्रेडिट प्वाइंट स्कोर' (एमसीपीएस) द्वारा निर्धारित होगी। कुल 'क्रेडिट प्वाइंट स्कोर' (टीसीपीएस) से ही फिल्म को दिया जाने वाला प्रोत्साहन निर्धारित होगा।

फिल्म के लिए सांस्कृतिक परीक्षण हेतु क्रेडिट प्वाइंट्स का आवंटन

क्र.सं.	सांस्कृतिक परीक्षण	प्राप्ति योग्य अधिकतम अंक	हरियाणवी फिल्मों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम अंक	हरियाणवी फिल्मों द्वारा संभावित अधिकतम सीपीएस	गैर–हरियाणवी फिल्मों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम अंक	गैर–हरियाणवी फिल्मों द्वारा संभावित अधिकतम सीपीएस
क	हरियाणा से संबंधित सांस्कृतिक विषय वस्तु					
क1	हरियाणवी भाषा या पंजाबी भाषा या दोनों में मूल संवाद रिकार्डिड (अर्थात ओडीआर) प्रमुख भाषा हरियाणवी होनी चाहिए।	5	3	5	0	5
प	ओडीआर झ 80%–90%			5		
पप	ओडीआर 70%–80%			4		
पपप	ओडीआर 60%–70%			3		
क2	हरियाण में फिल्म सैट– अर्थात ऐसी फिल्में जिनमें पृष्ठभूमि के रूप में हरियाणा हो/ ऐसी फिल्में जिनके कथानक हरियाणा में हैं।	5	2	5	0	5
प	स्क्रीन टाइम 70%–80%			5		
पप	स्क्रीन टाइम 60%–70%			4		
पपप	स्क्रीन टाइम 50%–60%			3		
पअ	स्क्रीन टाइम 40%–50%			2		
क3	मुख्य भूमिका	5	2	5	0	5
क	प्राथमिक भूमिका			5		
ख	माध्यमिक भूमिका			4		
ग	कनिष्ठ कलाकार			2		
क4	हरियाणा की विषय–वस्तु पर आधारित फिल्में	5	2	5	0	4
क	विषय–वस्तु 70%–80%			5		
ख	विषय–वस्तु 60%–70%			4		
ग	विषय–वस्तु 50%–60%			3		
घ	विषय–वस्तु 40%–50%			2		
क5	हरियाणवी सृजनात्मकता, हरियाणवी कला एवं सांस्कृतिक/ऐतिहासिक/ वास्तुकला परम्परा और/या विविधतता का प्रदर्शन करने वाली फिल्म। (अंक मात्रात्मक तथा गुणात्मक आधार पर दिए जाएंगे)	5	3	5	0	5
क6	राष्ट्रीयता एवं सामाजिक मुद्दों का संदेश देने वाली फिल्म	5	0	5	0	5
	कुल भाग क	30	12	30	0	29

क्र.सं.	सांस्कृतिक परीक्षण	प्राप्ति योग्य अधिकतम आवश्यकता	हरियाणवी फिल्मों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम आवश्यकता	हरियाणवी फिल्मों द्वारा संभावित अधिकतम सीपीएस क्षमता	गैर–हरियाणवी फिल्मों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम आवश्यकता	गैर–हरियाणवी फिल्मों द्वारा संभावित अधिकतम सीपीएस क्षमता
ख	हरियाणा में शूटिंग	50	30	50	30	50
प	0 से 10 दिन के बीच	10	___	10	___	10
पप	11 से 20 दिन के बीच	20	___	20	___	20
पपप	21 से 30 दिन के बीच	30	___	30	___	30
पअ	31 से 40 दिन के बीच	40	___	40	___	40
अ	41 दिन से अधिक	50	___	50	___	50
	Total Section B	50	30	50	30	50
	टिप्पणी– (1) इस श्रेणी (अर्थात हरियाणा से संबंधित विषयवस्तु) के मामले में, राज्य में फिल्म शॉट की प्रतिशतता के अनुसार सटीक वरीयता निश्चित करने के लिए सीपीएस की समीक्षा व्यक्तिगत के साथ–साथ बड़े स्कोर के भाग के रूप में की जाएगी। (2) इस श्रेणी में शूटिंग की अवधि निर्धारित करने का मापदण्ड दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि शूटिंग 35 दिन तक की गई है तो 35 अंक दिए जाएंगे।					
ग	हरियाणवी प्रतिभा, अभिनेता और कर्मी दल					
ग1	अभिनेता	8	4	8	2	8
ग1क	**प्रमुख अभिनेता पुरुष** 1 अंक – यदि हरियाणावासी हो 1 अंक – यदि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हो	2	1	2	0	2
ग1ख	**प्रमुख अभिनेत्री** 1 अंक – यदि हरियाणावासी हो 1 अंक – यदि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हो	2	1	2	0	2
ग1ग	**सहायक अभिनेता** 1 अंक – यदि हरियाणावासी हो 1 अंक – यदि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हो	2	1	2	1	2
ग1घ	**सहायक अभिनेत्री** 1 अंक – यदि हरियाणावासी हो 1 अंक – यदि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हो	2	1	2	1	2
ग2	कर्मी दल	24	10	24	5	24
ग2क	**निर्माता** 1 अंक – यदि हरियाणावासी हो (प्रमुख निर्माता/सभी निर्माता/सह–निर्माता) 1 अंक – यदि हरियाणावासी महिला निर्माता हो (प्रमुख निर्माता/सभी निर्माता/सह–निर्माता) 1 अंक – यदि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हो	3	1	3	0	3
ग2ख	**निर्देशक** 1 अंक – यदि हरियाणावासी हो 1 अंक – यदि हरियाणावासी महिला निर्देशक हो 1 अंक – यदि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हो	3	1	3	0	3
ग2ग	**लेखक** 1 अंक – यदि हरियाणावासी हो 1 अंक – यदि हरियाणावासी महिला लेखक हो 1 अंक – यदि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हो	3	1	3	0	3

क्र.सं.	सांस्कृतिक परीक्षण	प्राप्ति योग्य अधिकतम आवश्यकता	हरियाणवी फिल्मों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम आवश्यकता	हरियाणवी फिल्मों द्वारा संभावित अधिकतम सीपीएस क्षमता	गैर–हरियाणवी फिल्मों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम आवश्यकता	गैर–हरियाणवी फिल्मों द्वारा संभावित अधिकतम सीपीएस क्षमता
ग2घ	**फोटो निर्देशक** 1 अंक – यदि हरियाणावासी हो 1 अंक – यदि हरियाणावासी महिला हो 1 अंक – यदि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हो	3	**1**	3	**0**	3
ग2ङ	**ध्वनि** 1 अंक – यदि हरियाणावासी हो 1 अंक – यदि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हो	2	**1**	2	**0**	2
ग2च	**सम्पादक** 1 अंक – यदि हरियाणावासी हो 1 अंक – यदि महिला सम्पादक हरियाणावासी हो 1 अंक – यदि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हो	3	**1**	3	**0**	3
ग2छ	**संगीतकार** 1 अंक – यदि हरियाणावासी हा 1 अंक – यदि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हो	2	**1**	2	**0**	2
ग2ज	श्रृंगार एवं केश–सज्जा (राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ एक अन्य)	1	**1**	1	**1**	1
ग2झ	प्रोडक्शन टीम (कम से कम 5 व्यक्ति हरियाणा से हों)	2	**1**	2	**2**	2
ग2ञ	कुशल कामगार (कम से कम 5 व्यक्ति हरियाणा से हों)	2	**1**	2	**2**	2
	कुल खंड ग	32	14	32	7	32
	सभी खंडों में कुल	112	56	112	37	112

क्रेडिट अंक स्कोर हेतु उपलब्ध प्रोत्साहन

क्र. सं.	श्रेणी	न्यूनतम श्रेणी हेतु अपेक्षित अंक (सीपीएस रेंज)	उच्चतम श्रेणी हेतु अंक (सीपीएस रेंज)
1	हरियाणवी फिल्में	56-84	85-112
	निर्माता की पहली फिल्म – एचएफसी से वित्तीय सहायता	हरियाणा में खर्च कुल निर्माण लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो	हरियाणा में खर्च कुल निर्माण लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम दो करोड़ रुपये, जो भी कम हो

क्र. सं.	श्रेणी	न्यूनतम श्रेणी हेतु अपेक्षित न्यूनतम (सीपीएस रेंज)अंक	उच्चतम श्रेणी हेतु सीपीएस रेंज
	निर्माता की दूसरी फिल्म और इससे अधिक – एचएफसी से वित्तीय सहायता	निर्माता की पहली फिल्म से 20 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा यदि (क) प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में आधिकारिक चयन हो। (ख) पहली फिल्म ने कोई राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार जीता हो	
	लोकेशन पर सब्सिडी – शूटिंग के उद्देश्य से सरकारी लोकेशन पर 100 प्रतिशत छूट		
2	गैर हरियाणवी फिल्में	37-75	76-112
		निर्माण बजट का 30 प्रतिशत या अधिकतम एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो।	निर्माण बजट का 30 प्रतिशत या अधिकतम दो करोड़ रुपये, जो भी कम हो।
	लोकेशन पर सब्सिडी – शूटिंग के उद्देश्य से सरकारी लोकेशन पर 100 प्रतिशत छूट		
3	अंतरराष्ट्रीय फिल्में		
	शूटिंग के उद्देश्य से सरकारी लोकेशन पर 50 प्रतिशत छूट		
टिप्पणी – सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग/एचएफसी शूटिंग कार्यक्रम/उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोकेशन (जो भी उपलब्ध हो) के लिए फिल्म निर्माता को दी जाने वाली छूट के लिए लोकेशन के स्वामित्व वाली एजेंसी (अर्थात पर्यटन विभाग या अन्य) को प्रतिपूर्ति करेंगे।			
4	लघु फिल्म (सामाजिक मुद्दों पर)		
	एक लाख रुपये या कुल निर्माण लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, का अनुदान		
5	डाक्यूमेंट्री फिल्म		
	30 मिनट तक– 3 लाख रुपये या कुल निर्माण लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, का अनुदान		
	30 मिनट से अधिक – 5 लाख रुपये या कुल निर्माण लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, का अनुदान		
	टिप्पणी – इस श्रेणी में वित्तीय सहायता में उस व्यक्ति/संस्था को अदा की जाने वाली राशि/प्रायोजन राशि शामिल होगी, जिस पर डाक्यूमेंट्री बनाई जा रही है।		
6	पहली फिल्म (डैब्यू)		
	संलग्न कार्य प्रतिरूपों के प्रासंगिक पोर्टफोलियो के साथ मान्यता प्राप्त फिल्म/मीडिया संस्थान से योग्यता प्राप्त हरियाणा से निर्माता के लिए	फिल्म निर्माता/प्रोड्यूसर की पहली लघु/डाक्यूमेंट्री फिल्म – 25,000 रुपये की विकास निधि	
		फिल्म निर्माता/प्रोड्यूसर की पहली फीचर फिल्म – 50,000 रुपये की विकास निधि	

निर्धारित विषय (प्रीसेट)		
1	हरियाणा फिल्म नीति के अनुसार वित्तीय अनुदान/सहायता प्राप्त करने के लिए एक परियोजना को सभी अनुभागों में अंक प्राप्त करना आवश्यक है।	
2	हरियाणवी निदेशक/निर्माता जिसके पास हरियाणा के दल के साथ पेशेवर योग्यता हो, के प्रथम अभिनय (डेब्यू फिल्म) के लिए प्रति वर्ष एक फिल्म को आरक्षित किया जाएगा।	
3	हरियाणवी के रूप में क्वालिफाई करने के लिए किसी भी कास्ट एवं कर्मी दल के सदस्य (श्रेणी सी में वर्णित अनुसार) को निम्नलिखित मापदण्डों में से किसी एक मापदण्ड को पूरा करना अनिवार्य है:– क. वह कम से कम 2 साल तक हरियाणा में रहा हो ख. उसका जन्मस्थान हरियाणा में हो ग. उसकी हरियाणा में संपत्ति हो टिप्पणीः उपयुक्त के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	
4	फण्ड का वितरण – स्वीकृत स्क्रीनप्ले और प्रोडक्शन बजट के अनुसार तीन स्लैब में निर्माता को फण्ड का वितरण किया जाएगा (इसकी स्वीकृति एचएफसी के तहत बनी कमेटी द्वारा दी जाएगी)	
4क	रफ कट जमा करने के सात दिनों के भीतर	50%
4ख	सेंसर बोर्ड प्रमाण पत्र के जमा करने के सात दिनों के भीतर	25%
4ग	रिलीज और पूर्ण/फाइनल एकाउंट के जमा करने के सात दिनों के भीतर	25%
5	हरियाणा की फिल्मों के लिए हरियाणा में सभी सिनेमा घरों/मल्टी प्लेक्सों में एक फिल्म प्रति सप्ताह की दर से दैनिक दो प्राइम टाइम शो प्रतिदिन दिखाने अनिवार्य होंगे।	
6	अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय फिल्म उत्सव के लिए सूचीबद्ध हरियाणवी फिल्मों के लिए, फिल्म के एक सदस्य (निर्देशक/अभिनेता) के लिए यात्रा एवं ठहरने का प्रावधान होगा।	

अधिकतम सीमा (कैप्स)	
1	इस पोलिसी के तहत एक वर्ष में 12 फिल्मों से अधिक को वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा।
2	एक फिल्म एक से अधिक वित्तीय लाभ नहीं लेगी।

अनुच्छेद–बी

अवार्ड / आनर्स	
क्रम संख्या	श्रेणियां–फिल्म निर्माण सेट अप
1	सभी हरियाणवीं फिल्में–यानि हरियाणा में बनी हरियाणवीं, पंजाबी भाषा फिल्मों के लिए निम्न श्रेणी में अवार्ड दिया जाएगा :–
क	श्रेष्ठ फिल्म
ख	श्रेष्ठ निर्देशक, फीचर फिल्म
ग	श्रेष्ठ अभिनेता
घ	श्रेष्ठ अभिनेत्री
ड़	श्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफर, फीचर फिल्म
च	श्रेष्ठ सम्पादक, फीचर फिल्म
छ	श्रेष्ठ लेखक (कहानी / स्क्रिप्ट)
ज	श्रेष्ठ डेब्यू फिल्म
झ	श्रेष्ठ डॉक्यूमैन्ट्री फिल्म
ञ	श्रेष्ठ हरियाणवी लघु फिल्म
ट	श्रेष्ठ लोक सेवा फिल्म
ठ	श्रेष्ठ म्यूजिक विडियो
2	हरियाणा एक गन्तव्य स्थल के रूप में श्रेष्ठ फिल्म को बढ़ावा देना
3	अभिनन्दनः– राष्ट्रीय अवार्ड / भारत में फिल्म उत्सव में अवार्ड / अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में अवार्ड जीतने वाले हरियाणवी फिल्म निर्माताओं के लिए गठित अवार्ड व विशेष स्वीकृति
क	हरियाणवी भाषा (श्रेष्ठ फिल्म) निर्माता, जिसे राष्ट्रीय अवार्ड मिला हो
ख	हरियाणवी भाषा–हरियाणा का श्रेष्ठ तकनीशियन, जिसे राष्ट्रीय अवार्ड मिला हो
ग	राष्ट्रीय अवार्ड (गैर–क्षेत्र विशेष) ग्रेड ए उत्सव ग्रेड बी उत्सव
घ	मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव की सूची से अन्तर्राष्ट्रीय अवार्ड
ड़	हरियाणा की छात्राओं के लिए छात्रवृति सुविधा (निर्माण / निर्देशन)– इसके लिए हरियाणा फिल्म प्रकोष्ठ द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी।

राजेश खुल्लर
अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार
सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग

HARYANA GOVERNMENT

INFORMATION, PUBLIC RELATIONS AND LANGUAGES DEPARTMENT

Notification

The 17th October, 2018

No.1/13/2018-1PP.—The Governor of Haryana is pleased to implement the Haryana Film Policy with the immediate effect with the following provisions, Rules and Services Bye-Laws:

FILMS AS WINDOWS OF CULTURAL COLLABORATION & OPPORTUNITY

Cinema, with its immense power to educate and communicate (given that the simplicity of the audio-visual experience lends itself to tremendous outreach), is constantly evolving and has become a very contemporary and effective tool for communication. It has generated huge mass appeal and defined popular culture as well as eclectic artistic expressions. Cinema has also bridged distances and created cross-cultural collaborations. Often it has created iconic destinations out of what could have otherwise been mere locations on the map. It is these qualities of cinema that make it a catalyst for cultural and business collaborations across geographies and cultures.

SIGNIFICANCE OF THE FILM POLICY

Film policies have been devised by countries/states to facilitate a system that will provide an impetus to film talent, the business of film making and its ancillary industries within a country. In this age of global, multi-cultural storytelling, a well rounded film policy also showcases the bounties of a state that would inspire a film maker and provides to the producer, various facilities & incentives that make filming and, at times even the after-film experience, very satisfying and beneficial. In other words, Film Policy, if robust and well implemented, holds the key to evolving a film-friendly state.

OBJECTIVES AND IMPLEMENTATION OF THE FILM POLICY

Haryana is a vibrant state with a relatively young film industry but rich in the diversity ofi ts locations, people and cultural potential. Its people are enterprising and dynamic. Films from Haryana have recently generated a lot of commercial interest and garnered laurels at the highest international and national cinematic events.

It is, therefore, the right time to formulate and implement a robust film policy with the following objectives -

1. To channelize energy of youth and open new employment opportunities by creating skill development and training facilities.
2. Development of Haryanvi cinema and creating a conducive eco-system for making Haryana a favoured destination for film makers.
3. Development of Haryanvi film talent, with special emphasis on gender equality and promotion of active participation by women.
4. Development of film cultured audiences.
5. Development of an attitude of film friendliness that will attract film makers from India and across the world to come, shoot and even release their films in the state.
6. Building consciously brand identity of the state using in-film tools as well as meticulously designed editorial strategies.
7. Preservation and archival of films and film related material.
8. Recognition and felicitation of those who have been the torch-bearers of the industry and have brought laurels and acclaim to Haryanvi cinema.
9. Promotion of culture to preserve folk, music and traditions.

SETTING UP OF HARYANA FILM CELL (HFC)

The Haryana Film Cell will have an Executive Committee and a High Powered Committee comprising government officers, professionals and experts from the film industry. The composition of the said committees will be as under :

High Powered Committee

The High Powered Committee comprising government officers / professionals / experts, will be an appropriate authority for sanctioning projects and for releasing funds under the Haryana Film Policy. The High Powered Committee will also act as an advisory body to guide the Executive Committee on implementation of provisions of the Haryana Film Policy. The High Powered Committee shall have following as its members:

1	Administrative Secretary, Information, Public Relations and Languages Department, Haryana	Chairperson
2	Nominated Member (renowned film expert)	Vice Chairperson
3	Administrative Secretary, Tourism Department, Haryana	Member
4	Administrative Secretary, Art and Culture Affairs Department, Haryana	Member
5	Director General, Information, Public Relations and Languages Department, Haryana	Member Secretary
6	Vice-Chancellor, State University of Performing & Visual Art, Rohtak (SUPVA)	Member
7	Eminent film personalities (Six)	Members

Executive Committee

An Executive Committee will be constituted under the HFC. The committee will examine the eligibility and fix criteria (total credit point score) to provide financial and other incentives to film makers as per the Haryana Film Policy. The committee will assist and submit its recommendations to the High Powered Committee. The Executive Committee would function under the aegis/administrative control of the Department of Information, Public Relations and Languages, Govt of Haryana. The composition of the Executive Committee will be as under :-

1	Director General, of Information, Public Relations and Languages	Chairperson
2	Nominated Member (Renowned film Personality)	Vice Chairperson
3	Director, Art & Cultural Affairs Department	Member
4	Director, Tourism Department	Member
5	Joint Director/Deputy Director (Film)	Member Secretary

6	Five Nominated Members from a panel of Film Makers/Director (Script writer, Technical, Direction & others side)	Members
7	Legal Expert	Member

To achieve the objectives of the Film Policy, the Haryana Film Cell (HFC) will make the following interventions -

1. Create incentive structures for making Haryana a preferred destination for filming.
2. Build a well strategised and focussed branding of Haryana in films and in the narratives surrounding those films.
3. Facilitate/contribute to the overall growth of the Haryanvi Film Industry.
4. Take measures to promote film tourism in the state.
5. Create and develop ancillary industries/business opportunities that co-exist with film making and also support it.
6. Recommend exemptions/ relaxations and other financial incentives.
7. Visualise film industry from value chain perspective and help recognise the fact that factor market dynamics need to be addressed to favour this sector.

REDRESSAL OF GRIEVANCES (DISPUTE MECHANISM)

In case any dispute arises, the matter would be referred to Administrative Secretary, Information, Public Relations and Languages Department, Haryana, for redressal. All disputes arising under the terms & conditions of Haryana Film Policy shall be subject to the jurisdiction of Chandigarh.

DEFINITIONS OF THE CATEGORIES OF FILM AS QUOTED IN THIS POLICY

a. Haryanvi Films– Indian language films which satisfy the minimum criteria prescribed for Haryanvi films as given in Article-A.

b. Non-Haryanvi Films – Indian language films which satisfy the minimum criteria prescribed for non-Haryanavi films as given in Article -A.

c. International Films – Films produced by international producers. These would also include International Co Productions – i.e. Films shot in Haryana by a Haryanvi / Indian Producer collaborating with one/multiple producers from across the world.

Note - Special consideration will be given to Mega Projects - i.e. with an overall production budget of more than ₹30 Crore – in Hindi or in any other Indian language by the HFC on a case to case basis.

SALIENT FEATURES OF THE POLICY

1. SINGLE WINDOW PERMIT

Implementation of a simple process for all permits and clearances through a single-window mechanism for all production houses to shoot films in Haryana. This will incentivise and boost domestic (studio backed as well as independent) and international film production houses in Haryana. Single Window Cell, a part of the HFC, will facilitate promotion of film tourism, including clearance for film shooting in the state. A nodal officer will be appointed in each of the stakeholder line departments in Haryana for purpose. The applicant shall submit application one month before the actual shooting schedule and the HFC shall examine and process the application within seven working days. The competent authority shall reserve the right to decline permission without assigning any reason.

2. INCENTIVES FOR HARYANVI FILMS AND PROMOTION OF FILM SHOOTS IN HARYANA

Film makers and film producers in India and from across the world should feel encouraged to shoot in a state which offers good financial incentives for shooting, production, release and general administrative systems. This would include financial support which will be determined by a Credit Points system as mentioned in Article -A. The scheme of incentives has been so designed as to encourage film makers and production houses in the country and from across the world to shoot in Haryana.

A film's eligibility for the same would be determined by the Minimum

Credit Point Score (MCPS). The Total Credit Point Score (TCPS) will determine the incentive that will be given to the film. Minimum credit points are compulsory to qualify (as detailed out in Article-A).

Fifty per cent (50%) of the total budget allocated to film incentives will be dedicated to Haryanvi films.

3. DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE

A) SETTING UP OF FILM & TELEVISION (TV) STUDIOS –

The State Government shall support setting up of film and TV studios in Haryana having production and post-production facilities to incentivise shooting and making of films in the state. The State Government will strive to set up a Film City in Haryana in the PPP mode or as deemed appropriate according to the business model to be decided by the HFC.

B) UPGRADE FILM & TELEVISION (TV) INSTITUTES & EXPAND THEIR SCOPE

The State Government has already set up a State University of Performing and Visual Arts in Rohtak. It offers courses on film making and also imparts technical training to enable the trainees to make films. The core technical departments have full-fledged programmes taught by qualified and experienced film academics and film makers. In addition to this, there would also be short-term, specific courses to develop skill sets for the line crew like art setting department, camera attendants, sound attendants, production staff and location managers. Skill Development Initiative will also be taken for training and development of content and talent to strengthen the future of the entertainment industry in Haryana.

The HFC shall impart training through labs e.g. a screen writers' lab, directors' lab and a producers' lab.

C) SETTING UP OF THEATRES (MINIPLEXES) AND ALTERNATE EXHIBITION FORA

Setting up of screen theatres/cinema halls and alternate exhibition facilities like travelling talkies and special institutional screening forums (e.g. screening schedules through Gram Panchayats, local schools, etc.) in Haryana, particularly in the rural areas, would help in the entertainment of rural masses at low cost, inculcate film watching

culture and provide impetus to the production of more Haryanvi films in the state.

C(i)- The long-term goal of the policy is to achieve a screen–population density ratio of 1:50,000 initially. The HFC will actively collaborate with digital cinema distribution entities to set up miniplexes in urban / semi urban / rural centres. With a view to facilitating this growth, the government will make the following interventions –

- Facilitating land and / or theatre acquisition / theatre renovation to encourage development of new miniplexes (capacity 70-100 pax) as well as upgrading older theatres. This would be in synergy with the department concerned for ensuring provision for speedy relevant clearances.
- Encourage miniplexe in cities-near bus stands, popular shopping areas, culture centres etc – for natural traction of audiences & also to ensure profitability.
- Policies of various departments will be amended to facilitate this. Change in Land Use related policy will be made film-friendly by attracting film and film related institutes and establishments in low and medium potential zones. Similarly, for the areas within the purview of Panchayats and Urban Local Bodies, similar support will be extended through film-friendly policies.
- Provision for public utilities : Norms for facilities like water, uninterrupted power supply, good connectivity, parking space, safety & facilities will be formulated in synergy with the State Government and other public agencies keeping in view the restrictions defined in the Cinematograph Act. Play area for children, moderately priced cafeterias and restaurants and other amenities will be encouraged to attract optimum family footfall.
- Single window clearance for prompt clearances and permissions.
- Promotional support : As far as possible, all government controlled / owned spaces like state tourist complexes, government office lobbies, railway stations & bus stands etc - will have display spaces for promoting miniplexes.
- State could hire a credible and experienced private consultant to oversee the processes of setting up and running all miniplexes.
- Leveraging expertise of knowledge firms and companies for

getting studies conducted on various aspects of Haryana film industry and content acquisition as per government norms, technical infrastructure, operations & management of theatre and premises (including parking & access matters). The Govt. realizes that understanding of the sector in the background of urban governance is sine qua non for realization of the objectives.

- Content for miniplexes could include Haryanvi films (with prime time show timings on priority basis in release week), dubbed international content, non-Haryanvi films (dubbed / with subtitles), National Award winning films (dubbed / with subtitles), and children's and educational films. Prime time slot would mean film shows scheduled between 4 pm and 9 pm.
- All films availing of the priority scheduling provision will need to submit proof of relevant certification from the HFC.
- It would be mandatory for the miniplexes to have a showcase / display/sale area for local arts & crafts, local cinema scheduling.

C(ii) Facilitate Alternative On-Ground Exhibition Models: For the far flung and rural areas where constructing new screens might not be viable or a later proposition, special provisions for exhibition could be made with adequate security arrangements (i.e. protection from piracy) for the film. The two models recommended are :-

- Traveling Cinema or the Cinema Van – Whereby a film can be taken from centre to centre using a self - sufficient exhibition vehicle (i.e. the cinema van) equipped with projection and screening facilities.
- Traveling Cinema or Makeshift Theaters – Whereby the film can be provided on a non-DCP/print format – i.e. a copy-protected movie file to be screened at pre-determined centres.

D) DESTINATION MARKETING FOR STATE OF HARYANA

The HFC will take several initiatives to promote Haryana as a leading destination for shooting and production of all feature and non-feature content - films, digital content and television shows. The list of deliverables for the producer of incentivized films would include incorporation of the logo of the HFC

- as a solo credit in opening credits in Haryanvi Films
- as part of slide featuring partner logos in opening credits of non-Haryanvi Films

- as part of partner logos mentioned in the end roll of international and mega budget films, and also
- adequate mention/acknowledgment to all concerned departments and locations used in the end roll of film.

E) DEVELOPMENT OF SHOOTING PLACES

The state government will identify, catalogue and develop promising potential shooting locations which have aesthetic and cinematic appeal. These locations will be developed in synergy with the Tourism Department and private investors.

F) SECURITY ARRANGEMENTS FOR FILM PRODUCTION

The State Government will ensure absolute security and crowd control facilities during film shoots. Appropriate security and safety arrangements would be made free of cost to enable the film makers to complete shooting. Permission to shoot shall include police clearance and shall be granted within seven days on the online portal. The security team will be specially trained / oriented for film shoots. A liaison officer from the Home Department will coordinate with the HFC to ensure security.

G) PROHIBITION OF ILLEGAL EXHIBITION OF FILMS AND VIDEO PIRACY

The State Government will strictly implement the laws related to checking video piracy and illegal exhibition of certified and quality films.

4. ORGANISING HARYANA STATE FILM AWARDS

The Haryana State Film Awards ("Awards"), organized by the HFC, will aim at encouraging production of films of aesthetic and technical excellence and social relevance. The awards will also aim at encouraging the study and appreciation of cinema as an art form. Awards/ Honours will be initially divided into broadly three categories (Article - B) :

a. Awards of Excellence for Haryanvi Films
b. Best film promoting Haryana as a destination
c. Felicitation of Haryanvi film makers who have won awards at select national and international film festivals and forums.

Felicitation amount will be determined by the HFC as deemed appropriate from time to time.

5. RESTORATION & PRESERVATION OF HARYANVI FILMS

A Haryana State Film Archives will be formed in collaboration with State University of Performing and Visual Arts, Rohtak, to protect and preserve all past and present film material produced in the State. This will enable the Government to not only maintain a record of the acclaimed work but also create a data base of the film industry going forward. Existing archives, as identified by the committee to be of archival value, should be restored in mission mode.

Producers will be encouraged to deposit a copy of their film and publicity material with the archives. Archives will ensure proper storage, cataloguing and maintenance of the films.

6. AUDIENCE DEVELOPMENT PROGRAMME

The State Government will promote organizations to enable the cinema to reach the audience. Film Festivals would be organised every year which would provide a platform to the people of Haryana to experience films of international, national and regional repute. In addition to the above, this would help in promoting the interest of people in cinema.

7. FILM AS INDUSTRY

Film industry is an important vehicle for social, cultural and economic development. Thus, a well nurtured film industry can be a major source of wealth creation, employment generation and effective tool and platform for preservation of culture and expression of the people of Haryana. The industry can promote Haryana's potential as an investment and tourist destination even as it acts as a powerful tool for dissemination of its culture. Accordingly,"Film" will be covered under the definition of "enterprise." This would make production of films eligible for the grant of incentives under the Enterprise Promotion Policy, 2016.

ARTICLE - A

The film's eligibility for incentives gets determined by the *Minimum Credit Point Score (MCPS).* The *Total Credit Point Score (TCPS)* will determine the incentive that will be given to the film.

Allocation of Credit Points for the Culture Test for Film

S No	Cultural Test	Max Achievable	Min Required by Haryanvi Films	Max CPS potential by Haryanvi Films	Min Required by Non Haryanvi Films	Max CPS potential by Non Haryanvi Films
A	Cultural Content related to Haryana					
A1	Original Dialogue Recorded (i.e. ODR) in Haryanvi language or Punjabi language or both. Majority language should be Haryanvi.	5	3	5	0	5
a	ODR > 80 %-90%			5		
b	ODR 70% - 80%			4		
c	ODR 60%-70%			3		
A2	Film set in Haryana--~~ie films that have Haryana as a backdrop / films with stories set in Haryana~~	5	2	5	0	5
a	Screen Time 70% - 80%			5		
b	Screen Time 60% - 70%			4		
c	Screen Time 50% - 60%			3		
d	Screen Time 40% - 50%			2		
A3	Lead characters Haryanvi --ie Haryanvi characters in the story	5	2	5	0	5
a	Primary characters			5		
b	Secondary characters			4		
c	Ambience / Junior artists			2		
A4	Film based Haryanvi subject matter or underlying material	5	2	5	0	4/5
a	Subject matter 70%-80%			5		
b	Subject matter 60%-70%			4		
c	Subject matter 50%-60%			3		
d	Subject matter 40%-50%			2		
A5	The film demonstrates Haryanvi creativity, Haryanvi art & cultural/historical/architectural heritage and/or diversity (Points to be given on Quantitative and Qualitative basis)	5	3	5	0	5
A6	The film demonstrates and propagates message of nationalism / patriotism along with reflection of social issues	5	0	5	0	5
	Total Section A	30	12	30	0	29

S No	Cultural Test	Max Achievable	Min Required by Haryanvi Films	Max CPS potential by Haryanvi Films	Min Required by Non Haryanvi Films	Max CPS potential by Non Haryanvi Films
B	Shooting in Haryana	50	30	50	30	50
a	Between 0 days and 10 days	10	___	10	___	10
b	Between 11 days and 20 days	20	___	20	___	20
c	Between 21 days and 30 days	30	___	30	___	30
d	Between 31 days and 40 days	40	___	40	___	40
e	Beyond 41 days	50	___	50	___	50
	Total Section B	50	30	50	30	50
	Note - 1 In case of this category (i.e. contents related to Haryana), the CPS has to be reviewed as part of the larger score as well as individually to ascertain the exact weightage as per %age of film shot in the state. 2 In this category, the points will be awarded vis-a-vis the shooting done on actual number of days. For example if the shooting is undertaken for 35 days then 35 points will be given.					
C	Use of Haryanvi Talent, Cast & Crew					
C1	Cast	8	4	8	2	8
C1a	Lead Actor Male 1 Point --- IF From Haryana 1 Point --- IF National Award Winner	2	1	2	0	2
C1b	Lead Actor Female 1 Point --- IF From Haryana 1 Point --- IF National Award Winner	2	1	2	0	2
C1c	Supporting Actor Male 1 Point --- IF From Haryana 1 Point --- IF National Award Winner	2	1	2	1	2
C1d	Supporting Actor Female 1 Point --- IF From Haryana 1 Point --- IF National Award Winner	2	1	2	1	2
C2	Crew	24	10	24	5	24
C2a	Producer 1 Point ---IF From Haryana (Main Producer/ All Producers/- Co Producer) 1 Point ---IF Female Producer From Haryana (Main Producer / Co-Producer/ All Producers) 1 Point --- IF National Award Winner	3	1	3	0	3
C2b	Director 1 Point --- IF From Haryana 1 Point --- IF Female Director from Haryana 1 Point --- IF National Award Winner	3	1	3	0	3
C2c	Writer 1 Point --- IF From Haryana 1 Point --- IF Female Writer from Haryana 1 Point --- IF National Award Winner	3	1	3	0	3

S No	Cultural Test	Max Achievable	Min Required by Haryanvi Films	Max CPS potential by Haryanvi Films	Min Required by Non Haryanvi Films	Max CPS potential by Non Haryanvi Films
C2d	Director of Photography 1 Point --- If From Haryana 1 Point --- If Female Writer from Haryana 1 Point --- If National Award Winner	3	1	3	0	3
C2e	Sound 1 Point --- If From Haryana 1 Point --- If National Award Winner	2	1	2	0	2
C2f	Editor 1 Point --- If From Haryana 1 Point --- If Female Editor from Haryana 1 Point --- If National Award Winner	3	1	3	0	3
C2g	Music Composer 1 Point --- If From Haryana 1 Point --- If National Award Winner	2	1	2	0	2
C2h	Make up & Hair (plus 1 with national awards)	1	1	1	1	1
C2i	Production Team (at least 5 persons from Haryana)	2	1	2	2	2
C2j	Skilled Workers (at least 5 persons from Haryana)	2	1	2	2	2
	Total Section C	32	14	32	7	32
	Total all sections	112	56	112	37	112

Incentive Provided for Credit Points Scored

S. No.	Category	Min (CPS Range) Points Required - Lowest Category	CPS Range For Highest Category
1	Haryanvi Films	56-84	85-112
	1st film of Producer - Financial Support from HFC	50 % of the total production cost spent in Haryana with a cap of ₹ 1 crore whichever is lesser.	50 % of the total production cost spent in Haryana with a cap of ₹ 2 crore whichever is lesser.

S. No.	Category	Min (CPS Range) Points Required - Lowest Category	CPS Range For Highest Category
	2nd film onwards of Producer - Financial Support from HFC	An increase of 20% in the incentive given to the 1st film of the producer in case (a) it is an official selection at National & International Film festivals of repute (b) It wins a National or a State Award	
	Subsidy on Locations -100% discount on state owned locations for shooting purpose		
2	**Non Haryanvi Films**	37-75	76-112
		30% of Production Budget OR a cap of ₹ 1 Crore - whichever is less	30% of Production Budget OR a cap of ₹ 2 Crore - whichever is less
	Subsidy on locations -50% discount on state owned locations for shooting purpose		
3	**International Films**		
	50% discount on state owned locations charges for shooting purposes		
Note : IPRL Department/ HFC will compensate the state owned locations agency (i.e. like Tourism deptt or others etc.) for the rebate extended to the film maker (as available) for using locations for shooting schedule/ purpose.			
4	**Short Film (on social issues)**		
	A grant of ₹1 Lakh or 50% of the total production cost, whichever is less		
5	**Documentary Film**		
	Up to 30 mins-a grant of ₹ 3 lakh or 50% of total cost - whichever is lesser		
	Above 30 mins- a grant of ₹ 5 lakh or 50% of total cost - whichever is lesser		
	Note - Financial support in this category to include the money / sponsorship amount to be paid to the individual / entity on whom the documentary is being made.		
6	**Debut Film**		
	For producer from Haryana, qualified from a recognised film / media institute with a relevant portfolio of work samples attached	1st Short / Documentary film of Filmmaker / producer - Development Fund of ₹ 25,000	
		1st feature film of Filmmaker / producer - Development Fund of ₹ 50,000	

PRESETS			
1	A film needs to score in all sections to be eligible for financial incentives as per Haryana Film Policy		
2	One film per year will be reserved for the debut film of a Haryanvi Director/ Producer with professional qualifications and with Haryans's crew.		
3	For any of the Cast and Crew (as mentioned in category C) to qualify as Haryanvi, She/He has to fulfill any of the following parameters : 1. Had stayed for at least 2 years in Haryana 2. Birthplace in Haryana 3. Should have property in Haryana Note : To support either of the above, any documentary evidence establishing relation with Haryana will be admissible		
4	**Disbursal of funds** **Will be disbursed to the Producer , in three slabs on approved screenplay & production budget** **(Approval to be given by committee set up by HFC for the purpose)**		
4a.	Within 7 days of submission of Rough Cut	50%	
4b.	Within 7 days of submission of Censor Board Certificate	25%	
4c.	Within 7 days of submission of release and Full & Final Accounts	25%	
5	**For Haryanvi Films there will be compulsory two prime time shows daily @ 1 film per week across all plexes in Haryana.**		
6	**For Haryanvi Films shortlisted for International/ National Film Festival, there will be provision for travel and stay for one member (Director/ Actor) of the film.**		

CAPS	
1	Not more than 12 films will be given financial benefit in a year under the policy.
2	One film shall not avail more than one financial benefit.

ARTICLE - B

AWARDS / HONORS		
S NO	**CATEGORIES -Film Production Set Ups**	
1	**All Haryanvi films---i.e. for Haryanvi, Punjabi language films made in Haryana, the Awards shall be given in the following category**	
a	Best Film	
b	Best Director, Feature Film	
c	Best Actor in Male Role	
d	Best Actor in Female Role	
e	Best Cinematographer, Feature Film	
f	Best Editor, Feature Film	
g	Best Writer(story/script)	
h	Best Debut Film	
I	Best Documentary Film	
j	Best Haryanvi Short Film	
k	Best Public Service Film	
l	Best Music Video	
2	**Best film promoting Haryana as a destination**	
3	**Felicitation - Special acknowledgement and award instituted for Haryanvi filmmakers who have won the National award / an award at a film festival in India/an award at an international film festival. Felicitation amounts proposed**	
a	To Producer for National Award - Haryanvi language (Best Film)	
b	For National Award - Haryanvi language (Best Technician of Haryana)	
c	For National Award (non -region specific) Grade A Festival Grade B Festival	
d	For International Award from list of recognized International Film Festivals	
e	Scholarship for girl students of Haryana (production/direction) -	Will be funded by **Haryana Film Cell**

RAJESH KHULLAR
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
Information, Public Relations & Languages Department

8406 —C.S.—H.G.P., Pkl.